सातवें वेतन आयोग के लाभ को लेकर 300 प्रोफेसरों में नाराजगी

सुनेत्रा ठाकुर • जागरण

- पीयू प्रशासन बोला- जुलाई 2018 से दो, प्रशासन अप्रैल 2022 से देने पर अड़ा
- छह प्राइवेट एडेड और पांच सरकारी कालेज के 300 असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर सातवें पे स्केल के इंतजार में
- प्राइवेट एडेड कालेज के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर अदालत की शरण में जाने को तैयार

चंडीगढ़ : शहर के छह प्राइवेट एडेड और पांच सरकारी कालेज के 300 असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर सातवें वेतन आयोग के तहत करियर एडवांसमेंट स्कीम (कैश) प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी को लेकर असमंजस में हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और यूजीसी के नियमानुसार यह लाभ जुलाई 2018 से दिया जाना चाहिए, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन इसे अप्रैल 2022 से लागू करने पर अड़ा हुआ है। प्राइवेट कालेज में कार्यरत असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर को कैश प्रमोशन देने की पंजाब यूनिवर्सिटी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन प्रमोशन के साथ वेतन बढ़ोतरी के लिए ग्रांट जारी करने में प्रशासन देरी कर रहा है। गौरतलब है कि प्राइवेट एडेड कालेजों को 95 प्रतिशत जबकि सरकारी कालेज को शत-प्रतिशत ग्रांट प्रशासन देता है, इसलिए अंतिम निर्णय उसी के हाथ में है। इस खींचतान के चलते शहर के कालेज में कार्यरत असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर अदालत की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं।

प्रशासन का तर्क

चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि 29 मार्च 2022 तक चंडीगढ़ में पंजाब सेवा नियम लागू थे, इसलिए उस अवधि तक वही वेतन और भत्ते लागू होंगे जो पंजाब सरकार देती थी। अप्रैल 2022 से केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के बाद ही सातवें पे स्केल का लाभ दिया जा सकता है। वहीं बात करें पंजाब सेवा नियम की तो पंजाब सरकार ने सितंबर 2023 में कालेज में नियुक्त असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर को कैश प्रमोशन 2018 दी थी।

अदालत जाने की तैयारी

असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों के अनुसार प्रशासन और यूनिवर्सिटी के बीच इस टकराव से परेशान हैं। प्रशासन में प्रशासक, मुख्य सचिव से लेकर शिक्षा सचिव से अपील कर चुके हैं और आर्थिक लाभ के साथ कैश प्रमोशन की मांग उठा चुके हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा। अब अंतिम रास्ता अदालत की शरण है जिसके लिए जल्द ही याचिका दायर करेंगे।

यूजीसी और पीयू के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में कैश प्रमोशन देने पर बनी थी सहमति : यूजीसी और पंजाब यूनिवर्सिटी के नियमानुसार असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर को कैश प्रमोशन और आर्थिक लाभ देने पर वर्ष 2023 में तत्कालीन निदेशक अमनदीप सिंह भट्टी ने मंजूरी दी थी। निदेशक और सचिव की मंजूरी के बाद जैसे ही फाइल वित्त विभाग में पहुंची तो आब्जेक्शन लग गई और विभिन्न कमेटियां बनाकर उस पर विचार-विमर्श शुरू हो गया। अब वित्त विभाग ने कानूनी सलाह लेकर कैश प्रमोशन के तहत आर्थिक लाभ देने की तैयारी की है जो कि एक अप्रैल 2022 से दी जा रही है।

शिक्षकों की दलील : असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर का कहना है कि प्रमोशन यूजीसी नियमों के तहत हुआ है, इसलिए वेतन लाभ भी उसी समय से मिलना चाहिए।

> चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन यहां शिक्षा की सेवा-शर्तों को नियंत्रित करने के लिए कोई स्वतंत्र विधायी ढांचा नहीं है। स्थानीय कालेज यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करते हैं इसलिए उन्हीं नियम-शर्तों के अनुसार हमें कैश प्रमोशन मिलनी चाहिए।
>
>
>
> -डा. सुमित गोखलानी, कार्यकारी सदस्य चंडीगढ़ एडेड कालेज टीचर्स एसोसिएशन

> यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्मचारियों को हर मुद्दे के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन को समयबद्ध संवाद और मजबूत शिकायत निवारण व्यवस्था से समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत से करना चाहिए ताकि बेहतर परिणाम मिल सकें।
>
>
>
> -डा. अजय शर्मा, प्रिंसिपल, एसडी कालेज, सेक्टर-32